

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 21.08.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 278/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. उमेश पुत्र लक्ष्मण निवासी राजीव नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात, 2. दीपक वाल्मीकि पुत्र मुकेश निवासी वाल्मीकि मोहल्ला पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात, 3. सौरभ कुमार पुत्र कमलेश निवासी अम्बेडकर नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात व 4. सागर कश्यप पुत्र रामगोपाल निवासी आजाद नगर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. संजय कुमार पुत्र राम औतार उम्र 40 वर्ष, 2. अमर सिंह पुत्र बलराम उम्र 50 वर्ष, 3. अवधेश पुत्र श्री राम उम्र 24 वर्ष, 4. चन्द्र कुमार उर्फ सोनू पुत्र स्व0 हीरालाल उम्र 32 वर्ष निवासीगण ग्राम मवैया थाना शिवली जनपद कानपुर देहात, 5. मो0 अनीश पुत्र छुट्टू उम्र 32 वर्ष, 6. अब्दुल वाहिद पुत्र स्व0 अब्दुल समद उम्र 52 वर्ष निवासीगण ग्राम असालतगंज थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, 7. रिकू पुत्र विश्वनाथ उम्र 35 वर्ष निवासी सिठरूपुरवा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, 8. आनंद पुत्र रामजीवन उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम असनीपुरवा करोम थाना शिवली जनपद कानपुर देहात, 9. पंकज पुत्र सालिकराम उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम भगवंतपुर उसरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, 10. ब्रजेश उर्फ सौरभ पुत्र असफीलाल उम्र 32 वर्ष निवासी मोहल्ला गंगागाज थाना पनकी जनपद कानपुर नगर, 11. राजा पुत्र रामआसरे उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पाण्डेयहार थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को जुआ खेलने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 291/2026 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अ0सं0 67/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 इमरान पुत्र ख्वाजा निवासी कस्बा व थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 290/2026 धारा 318(4) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. प्रेमशंकर पुत्र मुशीलाल निवासी ग्राम गुलजारी पुरवा मजरा कुढ़वा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र 50 वर्ष, 2. योगेन्द्र तिवारी पुत्र कमलेश तिवारी निवासी बिधूना थाना बिधूना जनपद औरैया उम्र 31 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।